

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मंडलायुक्त, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर।
2. जिलाधिकारी, जनपद सम्मल, अमरोहा, हापुड़, शामली, चन्दौली, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर।
3. मंडलीय उपनिदेशक(पं०), उपरोक्त सम्बन्धित मण्डल।

पंचायती राज अनुभाग—३

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2018

विषय : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित शासनादेश संख्या—1813/33-3-2016-10जी.आई./2015, दिनांक 12 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत जिला/ मण्डल पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) की स्थापना हेतु (18 मण्डल एवं 25 जनपद स्तरीय रिसोर्स) स्थल चयन सम्बन्धी आदेश निर्गत किए गए थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत प्रेषित 43 डी.पी.आर.सी. के निर्माण प्रस्ताव के सापेक्ष 25 डी.पी.आर.सी. के संचालन पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में 8 जनपदों यथा— सम्मल, अमरोहा, हापुड़, शामली, चन्दौली, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में 08 डी.पी.आर.सी. के निर्माण हेतु प्रति सेंटरवार दो करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आर०जी०पी०एस०ए०/आर०जी०एस०ए० योजनान्तर्गत प्रदेश में जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटरों (डी०पी०आर०सी०) के निर्माण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि—

- जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटरों का निर्माण मंडलायुक्त की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या—३/2017/3091/33-3-2016-10जी.आई./2015, दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा गठित 'मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति' के मार्गदर्शन में कराया जाएगा। इस प्रकार से निर्मित होने वाले सेंटर, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करेंगे।
- अंकित जनपदों में सरकारी भूमि की उपलब्धता, डी०पी०आर०सी० के सम्बन्ध में दिनांक 12 जुलाई, 2016 के शासनादेश के अनुरूप सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- डी०पी०आर०सी० के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, संबंधित जनपद होगी। जिसके लिए कार्यदायी संस्था को पृथक से धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
- कार्यदायी संस्था को निर्माण हेतु भुगतान 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० द्वारा किया जाएगा। अग्रिम 60 प्रतिशत भुगतान के 50 प्रतिशत उपभोग के पश्चात् ही अवशेष 40 प्रतिशत का भुगतान के कार्यदायी संस्था को किया जाएगा। कार्यदायी संस्था समय-समय पर कार्यप्रगति के साथ-साथ कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० को उपलब्ध कराएगी।

4805

राज्यपूर्वक निवेदित प्रतिक्रिया/
उप निदेशक (पं०) उत्तरी प्रवीणी

निदेशक
(पं०) 15-1-18

129 PSA
(प्रवीणा चौधुरी)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज, उ०प्र०
15-1-18

- ‘मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति’ डी०पी०आर०सी० निर्माण अवधि में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगी एवं समिति की संस्तुति के उपरान्त ही द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को जारी की जायेगी।
अतः उक्त रूप से निर्गत निर्देशों के कम में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए समस्त ०८ मण्डलीय जनपदों में सरकारी भूमि की उपलब्धता की सूचना पूर्व प्रेषित प्रारूप पर एक सप्ताह में निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या— १० (१) / ३३-३-२०१८-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
- २— मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
- ३— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
- ४— निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० को उनके पत्र संख्या-५/शा०/११८ /२०१७-आर.जी.एस.ए./०७/२०१६, दिनांक ०३.११.२०१७ के संदर्भ में प्रेषित।
- ५— निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, उ०प्र०।
- ६— जिला पंचायत कार्यदायी संस्था, संबंधित जनपद।
- ७— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० पत्रांकित मण्डल के अतिरिक्त।
- ८— समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र।
- ९— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र।
- १०— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र।
- ११— अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित जनपद।
- १२— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

J.B.S.
(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।